झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची ।

पत्रांक– 03 / छात्रवृति विज्ञापन–01 / 2016–1073

प्रेषक,

हर्ष मंगला, भा0प्र0से0,
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 22/12/2020

विषय : – विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष–2020–21 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति सम्बन्धित सूचना के प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को झारखण्ड राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

22/12/20

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांकः 1073 राँची, दिनांक : 22/12/2020

प्रतिलिपि : Central for Good Governance, Hyderabad को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/12/20

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांकः 1073 राँची, दिनांक : 22/12/2020

प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, झारखण्ड / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

22/12/20

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांकः 1073 राँची, दिनांक : 22/12/2020

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को कल्याण विभागीय पत्रांक–2648, दिनांक–21.12.2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

22/12/20

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची।

प्रवेशिकोत्तर पाठयक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना वर्ष 2020–21 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वितीय वर्ष–2020–21 में प्रवेशिकोत्तर पाठयक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. <u>छात्रवृति के लिए आय की अधिसीमा :–</u>

अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र/छात्राएँ जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो, तथा पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राएँ जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 1.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो, इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

2. <u>आवेदन करने की प्रक्रिया :–</u>

अहर्त्ता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना है। ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् उसकी हार्डकॉपी (**Printout**) में विधिवत हस्ताक्षर कर एवं सभी निम्नांकित वांछित प्रमाण–पत्रों की **Scanned Copy (jpeg/jpg** में **150kb** तक) वेबसाईट पर अपलोड करेगें :–

(i) ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् प्रिन्ट आउट पर छात्र एवं अभिभावक के हस्ताक्षर सहित

(ii) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण–पत्र (**Income Certificate**) (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति। (दिनांक–01.04.2020 से निर्गत आय प्रमाण–पत्र मान्य होगा।)

(iii) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (**Caste Certificate**) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(iv) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र (**Residential Certificate**) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(v) संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत **Bonafide Certificate (with Fee Structure** निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रति। (एक पृष्ठ में)

(vi) पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र (**Mark Sheet of previous exam**) की अभिप्रमाणित प्रति।

(vii) छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की पृष्ठ, जिसमें Account No. एवं IFS Code उल्लेखित हो, की छायाप्रति (बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है।)। छात्रवृति की धनराशि PFMS के माध्यम से Aadhar Enabled DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र–छात्राओं के खाते में अन्तरित की जाएगी।

3. <u>ऑनलाईन आवेदन की समय सीमाः–</u>

क0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1.	नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई–कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन।	28.12.2020	10.01.2021
2.	संबंधित छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृति हेतु आवेदन करने की प्रकिया	28.12.2020	15.01.2021
3.	शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन।	28.12.2020	20.01.2021

Akn

22/12

4. कॉलेज/संस्थान का निबंधन

ऐसे कॉलेज/संस्थान जिनके द्वारा affiliation एवं registration का अद्यतन कागजात वेबसाईट पर upload नहीं किया गया है से पुनः अद्यतन कागजातों के साथ वेबसाईट पर registration करने का अनुरोध किया गया है। कॉलेज/संस्थान के द्वारा registration करने एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10.01.2021 निर्धारित की गई है।

5. कॉलेज/संस्थान का दायित्वः–

(I) संस्थान अपना पूर्ण विवरण सहित मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।
नोटः– राज्य के अन्दर स्थित संस्थानों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य के बाहर के संस्थानों को उनके ई–मेल आई0डी0 पर User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य के अन्दर स्थित महाविद्यालय/संस्थान Course Mapping करते हुए Fee Detail भी Update करेंगे जो Post Matric (Within State) में Student application form दिखलाई देगा, तभी Student Online आवेदन कर सकते हैं। राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय/संस्थान को Course Mapping करने की आवश्यकता नहीं है।

(II) छात्र/छात्रा की छात्रवृति हेतु संस्थान के लेटर हेड में वर्ष–2020–21 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का Bonafide Certificate निर्गत संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत करेंगे।

(III) संस्थान प्रधान अपने महाविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गए Online आवेदन को https://ekalyan.cgg.gov.in के वेबसाइट पर अपने User Id एवं Password के माध्यम से login कर Online सत्यापित करेंगे। राज्य के अन्दर स्थित महाविद्यालय/संस्थान सत्यापन से पूर्व Fee Detail भी Update करेंगे।

(IV) पूर्व से छात्रवृति पोर्टल पर निबंधित संस्थान यदि अपने User Id एवं Password भूल गए हों तो पोर्टल पर दिए गए लिंक से पुनः User Id एवं Password Recover कर सकते हैं।

6. हेल्प लाईनः–

सिर्फ आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई॰–कल्याण के सम्पर्क संख्या – 040-23120591 / 23120592 / 23120593 पर सम्पर्क कर सकते हैं, एवं e-mail id - helpdeskekalyan@gmail.com पर e-mail कर सकते हैं अथवा https://ekalyan.cgg.gov.in वेबसाइट के Complaint link पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

7. नोट :–

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना से संबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत दिशा–निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट पर दिए गए निर्देश को अवश्य देख लिया जाय।
- उपबन्धित बजट राशि की सीमा के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति स्वीकृति हो सकेगी।
- निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- छात्र/छात्रा को अपना बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या देना अनिवार्य होगा।
- एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र रदद् कर दिया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि/अशुद्धि/गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रदद् कर दिया जायेगा।

22/12/20

आदिवासी कल्याण आयुक्त।